राजस्थान सरकार
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग,

क्रमांक : 25657 दिनांक : 5/11/15

परिपत्र

"स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय" के अन्तर्गत समस्त राजकीय विद्यालयों में बालक–बालिकाओं पृथक–पृथक शौचालय सुविधा करवाई जा चुकी है। ग्रामीण क्षेत्र के समस्त विद्यालयों में उपलब्ध शौचालय एवं पेयजल सुविधाओं की साफ–सफाई एवं रख–रखाव हेतु रू. 500 रूपये प्रतिमाह की दर से 5000 रूपये प्रतिवर्ष (10 माह हेतु) स्वच्छता अनुदान दिया गया है। विद्यालयों में शौचालय एवं पेयजल सुविधा की साफ–सफाई एवं रख–रखाव तथा बालक बालिकाओं में स्वच्छता एवं स्वास्थ्यप्रद आदतों के विकास के लिए नियमित रूप से निम्नांकित गतिविधियों का संचालन किया जावें :–

1. प्रार्थना सत्र में नियमित रूप से स्वच्छता एवं स्वास्थ्यप्रद आदतों की जानकारी शिक्षकों द्वारा छात्र–छात्राओं को दी जावें।
2. सप्ताहिक रूप से प्रार्थना सत्र के उपरान्त बालक बालिकाओं में स्वच्छता की आदतों का परीक्षण किया जावे यथा नाखून, शरीर की सफाई, गणवेश की स्वच्छता आदि।
3. विद्यालय में दर्पण लगवाया जाये, जिससे विद्यार्थी विद्यालय में आने के उपरान्त अपनी गणवेश एवं बालों आदि को व्यवस्थित कर सके।
4. मिड–डे मिल से पूर्व आवश्यक रूप से सभी विद्यार्थीयों को साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था करें। भोजन बनाने से पूर्व सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा आवश्यक रूप से साबुन से हाथ धोये जावे।
5. विद्यालय में शौचालय, पेयजल परिसर कक्षा–कक्ष, बरामदा साफ–सफाई एवं रख–रखाव की की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
6. विद्यालयों के शौचालयों में रनिंग वाटर अथवा छोटी टंकी से पानी की व्यवस्था की जावें।
7. विद्यालय की दैनिक गतिविधियों में विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करने एवं नेतृत्व क्षमता के विकास के लिए बाल संसद का गठन कर उन्हें कार्यो का दायित्व सौपा जावें।
8. प्रत्येक कक्षा का एक स्वच्छता मोनिटर मनोनीत किया जाए एवं प्रतिमाह नए बालक/बालिका को मोनिटर बनाया जाए।
9. विद्यालय के मिड–डे–मील प्रभारी शिक्षक को ही शाला स्वच्छता एवं स्वास्थ्य कार्यक्रमों का प्रभारी शिक्षक मनोनीत किया जाए।
10. ***विद्यालय भवन/सूचना पट्ट पर विद्यालय परिसर एवं शौचालय के सफाईकर्मी का नाम एवं मोबाईल नम्बर आवश्यक रूप से अंकित किया जाए।***

बाल संसद के गठन की प्रक्रिया

विद्यालय मे नामंकित बच्चों में से चुनाव प्रकिया के द्वारा एक प्रधानमंत्री चुना जाये। कक्षा 3 से 5 या 8 तक 35 छात्र–छात्राओं का स्वच्छता स्काउट के रूप मे चयन कर 5–5 स्वच्छता स्काउटों की 6 दल (दल 5x6=30) बनाकर उनमें से एक–एक दल नायक चुनेंगे। दल नायक

पूरे दल का नेतृत्व करेगा। प्रत्येक दल का एक–एक प्रभारी अध्यापक होगा। जहॉ पर अध्यापक कम होगें वहॉ दो तीन दलों को मिलाकर प्रभारी बनाया जा सकता है। यहॉ बालिकाओं की भागीदारी निश्चित अनुपात में अवश्य हों।

प्रधानमंत्री द्वारा प्रत्येक दल के दल़नायक को निम्नानुसार विभाग सौपकर कार्यो का दायित्व सौपेगें।

बाल संसद का स्वरूप

1. प्रधानमंत्री
2. स्वच्छता एवं स्वास्थ्य मंत्री
3. जल एवं पर्यावरण मंत्री
4. सांस्कृतिक मंत्री
5. शिक्षा मंत्री
6. खेल मंत्री
7. बागवानी मंत्री

बाल संसद के कार्य

प्रधानमंत्री

1. विभिन्न दल नायकों को विभागों एवं कार्यो का विभाजन।
2. विद्यालय में स्वच्छता कार्यो की साप्ताहिक/मासिक कार्ययोजना का निर्धारण करना।
3. विद्यालयों में शौचालय, पेयजल एवं हाथ धोने की सुविधाओं की मोनिटरिंग करना।

स्वच्छता एवं स्वास्थ्य मंत्री

- शौचालय/मूत्रालय की दैनिक सफाई तथा छात्र/छात्राआं को शौचालय/मूत्रालय उपयोग पश्चात उनमें पानी डालने को प्रेरित करना।
- स्वच्छता सामग्रियों को सही जगह पर रखना तथा इसका रिकार्ड रखना।
- विद्यालय के परिसर, बरामदों, कार्यालय, कक्षाओं की प्रतिदिन सफाई करवाना/करना।
- प्रार्थना सभा में बच्चों की स्वच्छता जॉच करना।
- खाने के समय बच्चों द्वारा साबुन से हाथ धोकर खाने के अभ्यास पर निगरानी रखना।
- शौचालय में साबुन की आवश्यक रूप से व्यवस्था करना (स्वच्छता अनुदान की राशि से)
- कक्षा 1 से 8 के प्रत्येक बच्चों को प्रतिसप्ताह, मध्यान भोजन उपरान्त आयरन की एक गोली देने की व्यवस्था करवाना। (कक्षा 1 से 5 तक गुलाबी एवं कक्षा 6 से 8 के बच्चों को नीली आयरन की गोली दी जाएगी।)
- किशोरी बालिकाओं में माहवारी स्वच्छता प्रबंन्धन हेतु ए.एन.एम. के माध्यम से जानकारी देना।
- बच्चों के चोट लगने/छिलने पर प्राथमिक उपचार करना।
- फर्स्ट एड किट अपनी सुरक्षा में रखना।

जल एवं पर्यावरण मंत्री

- पानी के बर्तन की सफाई कर उसमें पानी रखना/रखवाना।

- पीने का पानी किसी तरह दूषित न हो, पर निगरानी रखना।
- शौचालय/हैण्डवाशिंग/पेयजल हेतु टंकी में पानी भरवाना।
- हैण्डपम्प के आस–पास की साफ–सफाई व इसके सही इस्तेमाल पर ध्यान देना।
- जल स्त्रोत एवं संग्रहण/भण्डारण टंकियों की नियमित साफ–सफाई करवाना।

सांस्कृतिक मंत्री

- विशेष कार्य दिवस को सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे–गीत, भाषण, प्रभातफेरी आयोजित करवाना।
- बच्चों की प्रतियोगिता जैसे –चित्रांकन, गीत, कविता, कहानी लेखन आदि का आयोजन करना।
- विशेष कार्य दिवस में विद्यालय को सजाना एवं अपने तथा अन्य अभिभावकों को विद्यालय में लाने का प्रयास करना।

शिक्षा मंत्री

- विद्यालय में काम आने वाली शैक्षिक सामग्री को संभालकर रखना व उपयोग करना।
- सभी कक्षाओं में चॉक, डस्टर आदि की व्यवस्था रखना।
- स्वच्छता संबंधी शैक्षिक सामग्री को संभालकर रखना एवं सभी बच्चों को बारी–बारी से पढ़ने देना। (हमारा स्वास्थ्य नामक पुस्तकें)
- महीनें में एक बार बच्चों के बीच, (अगर कक्षावार हो तो और बेहतर होगा) किसी भी सामयिक या स्वच्छता के विषय पर चर्चा करवाना।
- विद्यार्थियों में पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों के अध्ययन के प्रति रूचि सृजित करना।

खेल मंत्री

- रोज टिफिन के समय (भोजन के बाद) स्वच्छता अधारित खेल की व्यवस्था करना।
- खेल की सामग्री सभी बच्चों को बारी–बारी से मिले, इस पर ध्यान देना।
- समय–समय पर एक ही कक्षा के बीच या एक से दूसरी कक्षा में खेल प्रतियोगिता कराना।

बागवानी मंत्री

- विद्यालय प्रांगण के उपयुक्त स्थान पर फूल की क्यारी बनाना/लगाना।
- बागवानी कार्य में आने वाले सामग्री को जिम्मेदारीपूर्वक रखना।
- विद्यालय में यदि बास/झाड़ियों का बाड़ा हो तो टूटने पर तुरन्त मरम्मत करना।
- विद्यालय के बगीचे में नये–नये पौधा लगाना एवं अन्य बच्चों को पौधा लाने के लिये एवं लगाने के लिये प्रेरित करना।
- यदि विद्यालय प्रांगण में बागवानी का स्थान न हो तो गमलों में फूल लगाना।
- परिसर में जल का जमाव नहीं होने देना।
- आवश्यकता होने पर सोख्ता गढ़े का निर्माण करवाना।
- हैण्डपम्प पीने एवं हाथ धोने के बेकार पानी को बगीचे में इस्तेमाल में लाने हेतु सभी बच्चों के सहयोग से नालियॉ बनवाना।

साप्ताहिक गतिविधि चार्ट (मंत्री एवं उसके दल द्वारा रोटेशन के आधार पर कार्य किया जावें)

क्र. सं.	कार्य	सोम	मंगल	बुध	गुरू	शुक्र	शनि
1.	प्रातः शौचालय का ताला खोलना तथा पानी डालना तथा शाम को शौचालय के ताला लगाना।	स्वास्थ्य एवं स्वच्छता मंत्री	जल एवं पर्यावरण मंत्री	बगवानी मंत्री	शिक्षा मंत्री	सांस्कृतिक मंत्री	खेल मंत्री
2.	पेयजल व्यवस्था को देखना तथा हैण्डपम्प के पास साफ सफाई	जल मंत्री एवं पर्यावरण मंत्री	बगवानी मंत्री	शिक्षा मंत्री	सांस्कृतिक मंत्री	खेल मंत्री	स्वास्थ्य एव स्वच्छता मंत्री
3.	प्रार्थना सत्र में व्यक्तिगत स्वच्छता का निरीक्षण	बगवानी मंत्री	शिक्षा मंत्री	सांस्कृतिक मंत्री	खेल मंत्री	स्वास्थ्य एवं स्वच्छता मंत्री	जल मंत्री एवं पर्यावरण मंत्री
4.	मिडे–डे–मील से पूर्व बच्चों को पंक्ति में खड़ा कर साबुन से हाथ धुलवाना व मंत्रोच्चारण के पश्चात भोजना करना	शिक्षा मंत्री	सांस्कृतिक मंत्री	खेल मंत्री	स्वास्थ्य एवं स्वच्छता मंत्री	जल मंत्री एवं पर्यावरण मंत्री	बगवानी मंत्री
5.	कक्षा कक्ष एवं विद्यालय प्रांगण की सफाई तथा कचरे का निस्तारण	सांस्कृतिक मंत्री	खेल मंत्री	स्वास्थ्य एवं स्वच्छता मंत्री	जल मंत्री एवं पर्यावरण मंत्री	बगवानी मंत्री	शिक्षा मंत्री
6.	बेकार पानी की व्यवस्था व बागवानी आदि	खेल मंत्री	स्वास्थ्य एवं स्वच्छता मंत्री	जल मंत्री एवं पर्यावरण मंत्री	बगवानी मंत्री	शिक्षा मंत्री	सांस्कृतिक मंत्री

समस्त शिक्षा अधिकारी विद्यालय अवलोकन के दौरान उपरोक्त गतिविधियों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करें तथा अपने अवलोकन प्रतिवेदन में उक्त गतिविधियों पर स्पष्ट टिप्पणी अंकित करें।

शासन सचिव (प्रा.शि.)
राज. सरकार

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, (मा.शि.) सचिवालय, जयपुर
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा (प्रा.शि.), सचिवालय, जयपुर
3. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, जयपुर
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, निदेशालय, बीकानेर
5. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, निदेशालय, बीकानेर
6. जिला कलेक्टर जिला (समस्त)

7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जिला (समस्त)
8. संभागीय उपनिदेशक (प्रा.शि.) संभाग (समस्त)
9. संभागीय उपनिदेशक (मा.शि.) संभाग (समस्त)
10. जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा.शि.) जिला (समस्त)
11. जिला शिक्षा अधिकारी, (मा.शि.) जिला (समस्त)
12. अति. जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान, जिला (समस्त)
13. सहायक अभियन्ता, सर्व शिक्षा अभियान, जिला (समस्त)
14. समस्त जिला प्रभारी, रा.प्रा.शि. परिषद्, जयपुर
15. ब्लाक प्रारिम्भक शिक्षा अधिकारी, ब्लाक (समस्त)
16. वॉश स्पेशलिस्ट, यूनिसेफ, जयपुर

आयुक्त, रा.प्रा.शि.प.